


योजना : अगले छह माह में लंबित इंदिरा आवासों को बनवाया जाएगा

# खत्म होंगे इंदिरा आवास के बैकलॉग

एसए शूद, पटना

ग्रामीण विकास विभाग इंदिरा आवास के बैकलॉग को लेकर गंभीर हुआ है। राज्य में करीब 12.87 लाख इंदिरा आवास का बैकलॉग है। ऐसे अनेक लाभुक हैं, जिनका पता लगाना विभाग के लिए अब आसान नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के मुताबिक, ऐसे आवासों को छोड़ जहां तक संभव होगा छह माह में बैकलॉग के आवास बनवाए जाएंगे। लंबित इंदिरा आवासों के कारण जिलों में 1696 करोड़ की राशि बिना उपयोग पड़ी है।

सूत्रों ने बताया कि पूर्व के वर्षों में आवंटित हुए इंदिरा आवास के 932 करोड़ रुपये बिना उपयोग के पड़े हैं। इस साल भी कई जिलों में प्रथम किस्त की राशि नहीं बांटी जा सकी, जिसके कारण बैकलॉग की संख्या और बढ़ी



को विशेष हिदायत दी जा रही है। इंदिरा आवास सहायकों को सक्रिय होने कहा गया है। - श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री

छह माह में जितना संभव हो सकेगा उतना बैकलॉग इंदिरा आवास पूरा करा देंगे। इस संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों

- ◆ 12.87 लाख का है बैकलॉग, जिलों में पड़े हैं 1696 करोड़
- ◆ उपयोग नहीं हो रही राशि को अन्य जिलों में हस्तांतरित करने के निर्देश



है। इन जिलों में बैंकों में प्रथम किस्त के 763.12 करोड़ रुपये बिना उपयोग के पड़े हैं। मंत्री ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए राशि वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। यह कहा गया है कि अगर संबंधित जिले इस राशि का उपयोग नहीं कर पा रहे हों तो अधिक आवश्यकता वाले जिलों में राशि हस्तांतरित कर दी जाए। सूत्रों ने इस बीच यह भी बताया कि पूर्व के आदेशों

पर जिलों में अमल नहीं किया गया जिसके कारण बैकलॉग की संख्या बढ़ी है। निर्देश था कि साप्ताहिक कार्ययोजना बनाकर योजनाओं की स्वीकृति और राशि वितरण का काम किया जाए। विशेष अभियान चलाकर स्वीकृत आवासों को पूरा कराने की कार्रवाई की जाए, लेकिन किसी जिले ने भी इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि प्रत्येक पंचायत में इंदिरा

आवास के लिए अलग से कर्मचारी उपलब्ध है। प्रत्येक पंचायत में औसतन निर्माणाधीन आवासों की संख्या करीब 150 होती है। 2015-16 के लक्ष्य के विरुद्ध लाभुकों को प्रथम किस्त के तहत जो रकम दी गई थी, उसमें से 29 जिलों के बैंक खाते में 763.12 करोड़ रुपये वैसे ही पड़े हैं। इन जिलों में मात्र 37 प्रतिशत इंदिरा आवास को ही स्वीकृति दी गई है।

